



विज्ञप्ति

वार्षिक प्रणाली के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर संचालित B.A., B.Com. (व्यक्तिगत) तथा स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित M.A., M.Com. (व्यक्तिगत) पाठ्यक्रमों की मुख्य परीक्षा-2024 हेतु पंजीकरण/परीक्षा फार्म तथा B.A., B.Com., B.Sc. एवं B.Sc. (Phy. Edu. & Sports) पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष (केवल भूतपूर्व छात्र परीक्षा), द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (मुख्य परीक्षा/भूतपूर्व छात्र) तथा एकल विषय (केवल द्वितीय एवं तृतीय वर्ष) में अध्ययनरत संस्थागत छात्र/छात्राएं जो अपनी उपाधि पूर्ण करने से वंचित रह गये हैं, की मुख्य परीक्षा-2024 के परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय वेबसाईट www.ccsuniversity.ac.in पर ऑनलाईन भरवाये जा रहे हैं।

आदेशानुसार परीक्षा फार्म भरने से वंचित ऐसे छात्र/छात्राओं को जिन्होंने अभी तक उपर्युक्त सन्दर्भित परीक्षा फार्म नहीं भरा है, अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए तिथियाँ दिनांक 20.02.2024 तक पुनः विस्तारित की जाती है। कृपया सन्दर्भित परीक्षार्थी दिनांक 20.02.2024 से पूर्व ही परीक्षा फार्म भरते हुए परीक्षा फार्म को महाविद्यालय/संस्थान में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।


महाविद्यालय/संस्थान सत्यापित परीक्षा फार्मों को दिनांक 23.02.2024 से पूर्व ही विश्वविद्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

किसी भी दशा में छात्र/छात्राओं को री-बैक की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।


परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक, रामरत सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि परीक्षा फार्म अग्रसारण से पूर्व अर्हता की भली-भांति जांच कर ली जाये कि जिस पाठ्यक्रम के लिए छात्र आवेदन कर रहा है, उसके लिए वह अर्ह है अथवा नहीं अन्यथा की स्थिति में परीक्षा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्र एवं महाविद्यालय/संस्थान का होगा।
02. सचिव कुलपति को, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
03. वैयक्तिक सहायक-निदेशक (अकादमिक) को, निदेशक अकादमिक जी के सूचनार्थ प्रेषित।
04. वैयक्तिक सहायक-कुलसचिव को, कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
05. वैयक्तिक सहायक-परीक्षा नियंत्रक को, परीक्षा नियंत्रक जी के सूचनार्थ प्रेषित।
06. वैयक्तिक सहायक-वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
07. लेखाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
08. राहा0 कुलसचिव/प्रभारी-अति गोपनीय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
09. राहा0 कुलसचिव/प्रभारी (परीक्षा/गोपनीय/लेखा/सामान्य/कमैटी सैल) को सूचनार्थ प्रेषित।
10. समस्त अनुभाग प्रभारी (पूछताछ केन्द्र/सूचना पट)।
11. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता/प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट।
12. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत एजेन्सी, को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त समस्त परीक्षा फार्मों को विश्वविद्यालय नियमानुसार ही भरवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।


उप कुलसचिव (परीक्षा)

2